

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
संख्या-प. 5(5)गृह-1/2020  
संख्या 236  
दिनांक 27/11/2023

जयपुर, दिनांक : 24 JAN 2023

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2020-21 की नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री संजीव कुमार/रामेश्वर लाल, पुलिस निरीक्षक (एससी) के विरुद्ध एसीवी प्रकरण संख्या 142/2009 में दिनांक 05.07.2012 को मा0 न्यायालय में चालान पेश किये जाने के कारण पदोन्नति की अभिशंका को सील्ड कवर में रखा गया।

प्रकरण संख्या 142/2009 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.12.2021 के द्वारा श्री संजीव कुमार/रामेश्वर लाल को दोषमुक्त किया गया है तथा मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध सक्षम स्तर से अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2020-21 की दिनांक 10.09.2020 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के अनुसार श्री संजीव कुमार/रामेश्वर लाल (एससी) को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.05.2020 की रिक्ति के प्रति एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री संजीव कुमार की वरिष्ठता श्री राजूलाल/कन्हैया लाल, (एसटी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री संजीव कुमार अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत् कार्य करते रहेंगे तथा श्री कुमार को रिक्ति दिनांक 01.05.2020 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नौशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लागू देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( जगदीश सिंह )

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी स्मार्टफोन महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस